FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

1951.	
*Election to the House of the People from the(State/Union territory).	Parliamentary constituency
*Election to the Legislative Assembly of Rajasthan (State/Union territo	ry) from Khandar-(093)
S.C. Assembly constituency.	
*Election to the Metropolitan Council of Delhi fromMetropolit	an Council constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri ASHOK VILLAGE-KUSHALIPURA,POST-HALODA,TEHSIL-SAWAIMADHOPUR,DISTRICT-SAWAI MADHOPUR sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place -SAWAI MADHOPUR

Date -11-12-2018

(RAKESH KUMAR MEENA)

ASSEMBLY CONSTITU

^{*}Score out, if inappropriate.

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लडा गया हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) में खण्डार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र— 93 (अ.जा.) के विधानसभा सदस्य का निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री अशोक, ग्राम—कुशालीपुरा,पोस्ट—हलोन्दा, तहसील—सवाईमाधोपुर, जिला—सवाईमाधोपुर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा प्रयोजित(मान्यता प्राप्त / राजनैतिक दल का नाम) को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान- सवाई माधोपुर

तारीख- 11 दिसम्बर 2018

(राकेश कुमर मीना) रिट्निमा अभिकारीरी विधानसभा किर्मासमा भेज समझ है , 293 (अ जा.) (**०९३) (इ.स.स.स.स.मा**धीपूर, मा.